



निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति फफूँद द्वारा प्रबन्धक श्री मुकेश कुमार भारतीय पुत्र स्व० श्री रामकुमार भारतीय निवासी 63 आजाद नगर कस्बा दिबियापुर परगना व जनपद औरैया के द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्राप्त तहसीलदार औरैया की आख्या दिनांक 22.12.2021 के आधार पर कायम किया गया है।

तहसीलदार औरैया की आख्यानुसार गाटा सं० 783/0.1814, 799/0.1154, 782/0.0175, 789/0.0070, 793/0.0337, 794/0.0140, 798/0.0390, 804/0.0214, 805/0.0197 रकवा 0.4491 हे० स्थित फफूँद आराजी दरगाह, तहसील व जनपद औरैया वादी श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति फफूँद द्वारा प्रबन्धक श्री मुकेश कुमार भारतीय पुत्र स्व० श्री रामकुमार भारतीय निवासी- 63 आजाद नगर कस्बा दिबियापुर परगना व जनपद औरैया संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सुरक्षित श्रेणी की नहीं है तथा किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि सं०- 783/0.1814, 799/0.1154, 782/0.0175, 789/0.0070, 793/0.0337, 794/0.0140, 798/0.0390, 804/0.0214, 805/0.0197 रकवा 0.4491 हे० में से आवासीय प्रयोजन में है। अकृषिक प्रयोजन में होने के कारण उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के तहत उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार औरैया द्वारा की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार औरैया की आख्या दिनांक 17.01.2022 नकल खतौनी एवं खसरा का अवलोकन किया। नकल खतौनी व खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि फफूँद आराजी दरगाह, तहसील व जनपद औरैया परगना जनपद औरैया में स्थित गाटा सं०- 783/0.1814, 799/0.1154, 782/0.0175, 789/0.0070, 793/0.0337, 794/0.0140, 798/0.0390, 804/0.0214, 805/0.0197 रकवा 0.4491 हे० वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जिसमें कुल रकवा 0.4491 हे० वादी का अकृषिक प्रयोजन में है तथा सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार निर्धारित शुल्क मु० 52200/- जमा किया गया। इस प्रकार तहसीलदार औरैया की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों से इतर भूमि का उपयोग होता है या उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-80(4) में उल्लिखित प्राविधानों इस धारा के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी। यदि उसका समाधान हो जाये कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे (सार्वजनिक न्यूसेंस) होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो" का उल्लेख होता है या किसी प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है अथवा आवेदक के द्वारा शपथ पत्र में दर्शाए गये कथनानुसार पाँच वर्ष की अवधि में पक्का निर्माण नहीं कर लिया जाता है तो आकृषिक हेतु उद्घोषित आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार औरैया की आख्या एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों से सहमत होते हुए फफूँद आराजी दरगाह, परगना जनपद औरैया की खतौनी वर्ष 1426-1431फ की खाता सं०-00493, 00656 की गाटा सं०-783/0.1814, 799/0.1154, 782/0.0175, 789/0.0070, 793/0.0337, 794/0.0140, 798/0.0390, 804/0.0214, 805/0.0197 रकवा 0.4491 हे० में से वादी श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति फफूँद द्वारा प्रबन्धक श्री मुकेश कुमार भारतीय पुत्र स्व० श्री रामकुमार भारतीय का रकवा 0.4491 हे० को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के तहत अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त खाते की भूमि को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाये। आदेश की अभि प्रमाणित प्रति तहसीलदार औरैया/उप निबन्धक औरैया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज कुमार सिंह)

असिस्टेंट कलेक्टर/प्र०श्रे०
उपजिलाधिकारी औरैया

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 24/01/22 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रित होकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार सिंह)

असिस्टेंट कलेक्टर/प्र०श्रे०
उपजिलाधिकारी औरैया





निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी श्रीमती सुधा भारतीय पत्नी श्री मुकेश कुमार भारतीय आजाद नगर कस्बा दिबियापुर परगना व जनपद औरैया द्वारा श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति फफूँद औरैया निवासी आजाद नगर कस्बा दिबियापुर परगना व जनपद औरैया के द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्राप्त तहसीलदार औरैया की आख्या दिनांक 22.12.2021 के आधार पर कायम किया गया है।

तहसीलदार औरैया की आख्यानुसार गाटा सं० 785/0.1027, 784/0.0025, 781/0.0300, 780/0.0187, 776क/0.0807, 795/0.0245, 796/0.1155 रकवा 0.6446 हे० स्थित फफूँद आराजी दरगाह, तहसील व जनपद औरैया वादी श्रीमती सुधा भारतीय पत्नी श्री मुकेश कुमार भारतीय आजाद नगर कस्बा दिबियापुर परगना व जनपद औरैया द्वारा श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति फफूँद औरैया निवासी आजाद नगर कस्बा दिबियापुर परगना व जनपद औरैया संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सुरक्षित श्रेणी की नहीं है तथा किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि सं०-785/0.1027, 784/0.0025, 781/0.0300, 780/0.0187, 776क/0.0807, 795/0.0245, 796/0.1155 रकवा 0.3746 हे० में से आवासीय प्रयोजन में है। अकृषिक प्रयोजन में होने के कारण उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के तहत उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार औरैया द्वारा की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार औरैया की आख्या दिनांक 17.01.2022 नकल खतौनी एवं खसरा का अवलोकन किया। नकल खतौनी व खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि फफूँद आराजी दरगाह, तहसील व जनपद औरैया परगना जनपद औरैया में स्थित गाटा सं०- 785/0.1027, 784/0.0025, 781/0.0300, 780/0.0187, 776क/0.0807, 795/0.0245, 796/0.1155 रकवा 0.3746 हे० वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जिसमें कुल रकवा 0.3746 हे० वादी का अकृषिक प्रयोजन में है तथा सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार निर्धारित शुल्क मु० 43500/- जमा किया गया। इस प्रकार तहसीलदार औरैया की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों से इतर भूमि का उपयोग होता है या उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-80(4) में उल्लिखित प्राविधानों इस धारा के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी। यदि उसका समाधान हो जाये कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे (सार्वजनिक न्यूसेंस) होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पढने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो" का उल्लेख होता है या किसी प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है अथवा आवेदक के द्वारा शपथ पत्र में दर्शाए गये कथनानुसार पाँच वर्ष की अवधि में पक्का निर्माण नहीं कर लिया जाता है तो आकृषिक हेतु उद्धोषित आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार औरैया की आख्या एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों से सहमत होते हुए फफूँद आराजी दरगाह, परगना जनपद औरैया की खतौनी वर्ष 1426-1431फ की खाता सं०-00103, 00539 की गाटा सं०-785/0.1027, 784/0.0025, 781/0.0300, 780/0.0187, 776क/0.0807, 795/0.0245, 796/0.1155 रकवा 0.3746 हे० में से वादी श्रीमती सुधा भारतीय पत्नी श्री मुकेश कुमार भारतीय आजाद नगर कस्बा दिबियापुर परगना व जनपद औरैया द्वारा श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति फफूँद औरैया का रकवा 0.3746 हे० को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के तहत अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त खाते की भूमि को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाये। आदेश की अभि प्रमाणित प्रति तहसीलदार औरैया/उप निबन्धक औरैया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



(मनोज कुमार सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर/प्र०श्रे०
उपजिलाधिकारी औरैया

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 24/01/22 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रित होकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर/प्र०श्रे०
उपजिलाधिकारी औरैया